(21)

संख्या : /IV(1)/2011–03(बजट)/10

प्रेषक,

निधि मणि त्रिपाठी,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

मेलाधिकारी,
हरिद्वार।

शहरी विकास अनुभाग–1 देहरादून : दिनांक : ३० मार्च, 2011

विषयः **कुम्भ मेला, 2010 हेतु पुर्नविनियोग के माध्यम से धनराशि की स्वीकृति के संबंध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–815/IV(1)/2010–3(बजट)/2010, दिनांक 24.06.2010 की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय कुम्भ मेला, 2010 हेतु अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2010–2011 के अन्तर्गत संलग्न बी.एम.–15 में उल्लिखित मदों की बचतों के व्यवर्तन से अंकित विवरणानुसार लम्बित देयताओं के भुगता हेतु **रू. 39.29 लाख (रूपये उनतालीस लाख उन्तीस हजार मात्र)** की धनराशि संलग्न बी0एम–15 में उल्लिखित विवरणनानुसार पुर्नविनियोग के माध्यम से स्वीकृत कर निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं : –

1. उक्त निवर्तन पर रखी गयी धनराशि का वित्तीय वर्ष 2010–2011 की शेष अवधि में आहरण एवं व्यय शासन स्तर से विभिन्न कार्यों हेतु पृथक–पृथक स्वीकृतियां निर्गत होने पर ही किया जायेगा। संविदा पर रखे गये पदधारक का मानदेय 07–मानदेय पर 16 व्यावसयिक सेवाओं से वहन किया जायेगा। वाहनो के किराये तथा मरमत के देयक 08– कार्यालय व्यय से वहन नहीं किये जाते है अतः इस मद से अवमुक्त नहीं किये जा रहें है, इन्हें 15–POL 16– व्यावसयिक सेवाओं की मद से वहन किया जायेगा।
2. उक्तानुसार स्वीकृत धनराशि का व्यय केवल उन्हीं कार्यों एवं मदों में किया जायेगा, जिसके लिए स्वीकृति प्रदान की जा रही है। साथ ही धनराशि का व्यय सम्बन्धित स्वीकृतियों एवं इस शासनादेश में वर्णित प्रतिबन्धों के अन्तर्गत ही किया जायेगा।
3. स्वीकृत कार्य कराते समय वित्तीय हस्तपुस्तिका, बजट मैनुअल, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 व उसके सम्बन्ध में शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत दिशा–निर्देशों एवं मितव्ययिता के सम्बन्ध में शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत किये गये शासनादेशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जायेगा।
4. अप्रयुक्त धनराशि का बजट मैनुअल के अन्तर्गत समय सारणी के अनुसार दिनांक 31.03.2011 तक समर्पित किया जाना सुनिश्चित किया जाय।
5. उक्त धनराशि का आहरण मेलाधिकारी, हरिद्वार के आहरण वितरण कोड से किया जाएगा।

2– इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2010–11 के 'अनुदान संख्या–13' के 'आयोजनागत' पक्ष के लेखाशीर्षक "2217–शहरी विकास–80–सामान्य–आयोजनागत–800–अन्य–01–केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना–07– हरिद्वार कुम्भ मेला, 2010 हेतु अवस्थापना सुविधा" के अन्तर्गत मानक मद

"20–सहायक अनुदान/अंशदान/राजसहायता" के नामे डाला जायेगा तथा पुनर्विनियोजन संलग्न प्रपत्र जी.एम.–15 के स्तम्भ–1 की बचतों से किया जायेगा।

3– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–457/XXVII(2)/2010 दिनांक 29 मार्च, 2011 में प्राप्त सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्न : प्रपत्र बी.एम.–15।

भवदीय,

(निधि मणि त्रिपाठी)
अपर सचिव।

संख्या :202 (1)/IV(1)/2011 तद्दिनांक। 30/3/11

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निजी सचिव, मा. मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड।
2. निजी सचिव, मा. शहरी विकास मंत्री, उत्तराखण्ड।
3. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. महालेखाकार, ऑडिट, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
6. प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
7. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
8. वरिष्ठ कोषाधिकारी, हरिद्वार।
9. वित्त अनुभाग–2/वित्त नियोजन प्रकोष्ठ, बजट अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
10. निदेशक, एन.आई.सी. सचिवालय परिसर, देहरादून को इस अनुरोध कि साथ कि नगर विकास के जी0ओ0 में इसे शामिल करें।
11. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(सुभाष चन्द्र)
उप सचिव।

प्रपत्र – बी.एम.–15
(पैरा – 158)

नियंत्रक अधिकारी– प्रमुख सचिव, शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन।

वित्तीय वर्ष 2010–11
प्रशासनिक विभाग–शहरी विकास विभाग
अनुदान संख्या–13

(धनराशि हजार रू. में)

बजट प्राविधान तथा लेखाशीर्षक का विवरण	मानक मदवार जुलाई–2010 तक अध्यावधिक व्यय	वित्तीय वर्ष के शेष अवधि में अनुमानित व्यय	अवशेष सरप्लस धनराशि	लेखाशीर्षक जिसमें धनराशि स्थानान्तरित किया जाना है।	पुर्नविनियोग के बाद स्तम्भ–5 की कुल धनराशि	पुर्नविनियोग के बाद स्तम्भ–1 में अवशेष धनराशि	टिप्पणी
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	
2217–शहरी विकास 80– सामान्य 800– अन्य 03– कुम्भ मेला अधि0 42– अन्य व्यय (10000) (क)	1139	3861	5000	2217–शहरी विकास 80–सामान्य 800–अन्य 03–कुम्भमेला अधि0 02–मजदूरी (1433) 08–कार्यालय व्यय (37) 09–विद्युत (814) 12–कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण (253) 15–पेट्रोल/अनुरक्षण (839) 19–विज्ञापन (500) 22–आतिथ्य व्यय (53) (ख)	1533 537 1414 353 1139 600 253	6071	(क) इस मद में वित्तीय वर्ष 2010–11 में बचत होने की संभावना है। (ख) इन मदों में शासन से मांग के अनुरूप बजट कम प्राप्त होने के कारण मेला अवधि जनवरी, 2010 से अप्रैल, 2010 में लम्बित देयकों का भुगतान किये जाने हेतु धनराशि की तत्काल आवश्यकता है।
योग (10000) (क)	1139	3861	5000	(ख) 3929	5829	6071	

–उपरोक्त पुनर्विनियोग से बजट मैनुअल के प्रस्तर–151 से 155 के प्राविधानों का उल्लंघन नहीं होता है।

(निधि मणि त्रिपाठी)
अपर सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
वित्त अनुभाग–2
संख्याः 457(1)/XXVII(2)/2011
देहरादून : दिनांक 29, मार्च, 2011

पुर्नविनियोग, स्वीकृत

(डॉ0 एम.सी. जोशी)
अपर सचिव, वित्त।

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी),
उत्तराखण्ड, माजरा, देहरादून।

संख्या–207(1)/IV(1)/2011, तद्दिनांक। 30/3/11

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
2. वित्त अनुभाग–2
3. गार्ड फाईल।

(सुभाष चन्द्र)
उप सचिव,
शहरी विकास विभाग।